इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2020—आश्विन 23, शक 1942

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्र. 85(5)-वि.निर्वा.-चार-2020-उपचुनाव-103.—भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश क्रमांक 576-3-EVM-2020-SDR-Vol.II, दिनांक 14 अक्टूबर 2020 एवं उसका हिन्दी रूपान्तर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरूण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2020—22 आश्विन, 1942 (शक)

निदेश

सं.576/3/ईवीएम/2020/एसडीआर/खण्ड-II:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. **यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और**

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने **दिनांक 29 सितम्बर, 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./67/2020 एवं दिनांक 5 अक्टूबर, 2020 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./72/2020 के तहत घोषित बिहार** में 1—वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और **11 राज्यों के 59 विधान सभाओं के लिए** सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि **बिहार** में 1—वाल्मीकि नगर **संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 11 राज्यों के 59 विधान सभाओं(अनुलग्नक के अनुसार)** के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा **बिहार** में 1—वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 11 राज्यों के 59 विधान सभाओं **के लिए**(अनुलग्नक के अनुसार) **दिनांक 09.10.2020 और 13.10.2020 को अधिसूचित** किए गए निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्द्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,
हस्ता./-
(एन. टी. भूटिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 14th October 2020—22nd Asvina, 1942 (Saka)

DIRECTION

No.576/3/EVM/2020/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **1-Valmiki Nagar Parliamentary Constituency of Bihar & 59 Assembly Constituencies (As per Annexure-I) of 11 States, announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/67/2020 dated 29th September, 2020 and No. ECI/PN/72/2020 dated 5th October, 2020**, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in **1-Valmiki Nagar Parliamentary Constituency of Bihar & 59 Assembly Constituencies (As per Annexure-I) of 11 States**, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **1-Valmiki Nagar Parliamentary Constituency of Bihar State & 59 Assembly Constituencies (As per Annexure-I) of 11 States notified on 09-10-2020 and 13-10-2020** as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By order,

Sd./-
(N. T. BHUTIA)
Secretary,
Election Commission of India.

Annexure-I

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Parliamentary Constituency
1.	Bihar	1- Valmiki Nagar

Sl. No.	Name of State	Number & Name of Assembly Constituency
1	Chhattisgarh	24- Marwahi(ST)
2.	Gujarat	01- Abdasa
3.	Gujarat	61- Limbdi
4.	Gujarat	65- Morbi
5.	Gujarat	94- Dhari
6.	Gujarat	106- Gadhada (SC)
7.	Gujarat	147- Karjan
8.	Gujarat	173- Dangs (ST)
9.	Gujarat	181- Kaprada (ST)
10.	Haryana	33- Baroda
11.	Jharkhand	10- Dumka (ST)
12.	Jharkhand	35- Bermo
13.	Karnataka	136- Sira
14.	Karnataka	154- Rajarajeshwarinagar
15.	Madhya Pradesh	04- Joura
16.	Madhya Pradesh	5- Sumawali
17.	Madhya Pradesh	6- Morena
18.	Madhya Pradesh	7- Dimani
19.	Madhya Pradesh	8- Ambah (SC)
20.	Madhya Pradesh	12-Mehgaon
21.	Madhya Pradesh	13- Gohad (SC)
22.	Madhya Pradesh	15- Gwalior
23.	Madhya Pradesh	16- Gwarlior East
24.	Madhya Pradesh	19- Dabra(SC)
25.	Madhya Pradesh	21- Bhander (SC)
26.	Madhya Pradesh	23- Karera (SC)

27.	Madhya Pradesh	24- Pohari
28.	Madhya Pradesh	28- Bamori
29.	Madhya Pradesh	32- Ashok Nagar (SC)
30.	Madhya Pradesh	34- Mungaoli
31.	Madhya Pradesh	37- Surkhi
32.	Madhya Pradesh	53- Malhara
33.	Madhya Pradesh	87- Anuppur (ST)
34.	Madhya Pradesh	142- Sanchi (SC)
35.	Madhya Pradesh	161- Biaora
36.	Madhya Pradesh	166- Agar (SC)
37.	Madhya Pradesh	172- Hatpipliya
38.	Madhya Pradesh	175- Mandhata
39.	Madhya Pradesh	179-Nepanagar (ST)
40.	Madhya Pradesh	202- Badnawar
41.	Madhya Pradesh	211- Sanwer (SC)
42.	Madhya Pradesh	226- Suwasra
43.	Manipur	30- Lilong
44.	Manipur	34-Wangjing Tentha
45.	Manipur	22-Wangoi
46.	Manipur	51-Saitu(ST)
47.	Manipur	60-Singhat(ST)
48.	Nagaland	14-Southern Angami-I (ST)
49.	Nagaland	60-Pungro-Kiphire (ST)
50.	Odisha	38-Balasore
51.	Odisha	102-Tirtol (SC)
52.	Telangana	41-Dubbak
53.	Uttar Pradesh	40-Naugawan Sadat
54.	Uttar Pradesh	65-Bulandshahr
55.	Uttar Pradesh	95-Tundla (SC)
56.	Uttar Pradesh	162-Bangermau
57.	Uttar Pradesh	218-Ghatampur (SC)
58.	Uttar Pradesh	337-Deoria
59.	Uttar Pradesh	367-Malhani

अनुलग्नक– I

कम सं0	राज्य का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कानाम व संख्या
1.	बिहार	1- बाल्मीकिनगर

कम सं0	राज्य का नाम	विधान संभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या
1.	छत्तीसगढ़	24- मरवाही (अ. ज. जा.)
2.	गुजरात	01-अबडासा
3.	गुजरात	61- लींबडी
4.	गुजरात	65- मोरबी
5.	गुजरात	94-धारी
6.	गुजरात	106- गढडा (अ. जा.)
7.	गुजरात	147- करजण
8.	गुजरात	173- डांग (अ.ज.जा.)
9.	गुजरात	181- कपराडा (अ.ज.जा.)
10.	हरियाणा	33- बरोदा
11.	झारखण्ड	10- दुमका (अ.ज.जा.)
12.	झारखण्ड	35- बेरमो
13.	कर्नाटक	136- सिरा
14.	कर्नाटक	154- राजाराजेश्वरीनगर
15.	मध्य प्रदेश	04- जौरा
16.	मध्य प्रदेश	05- सुमावली
17.	मध्य प्रदेश	6- मुरैना
18.	मध्य प्रदेश	7- दिमनी
19.	मध्य प्रदेश	8- अम्बाह (अ.जा.)

20.	मध्य प्रदेश	12-मेहगांव
21.	मध्य प्रदेश	13- गोहद (अ.जा.)
22.	मध्य प्रदेश	15-ग्वालियर
23.	मध्य प्रदेश	16- ग्वालियर पूर्व
24.	मध्य प्रदेश	19- डबरा (अ.जा.)
25.	मध्य प्रदेश	21- भाण्डेर (अ.जा.)
26.	मध्य प्रदेश	23- करेरा (अ.जा.)
27.	मध्य प्रदेश	24- पोहरी
28.	मध्य प्रदेश	28- बामोरी
29.	मध्य प्रदेश	32- अशोकनगर (अ.जा.)
30.	मध्य प्रदेश	34- मुंगावली
31.	मध्य प्रदेश	37- सुरखी
32.	मध्य प्रदेश	53- मलहरा
33.	मध्य प्रदेश	87- अनूपपुर (अ.ज.जा.)
34.	मध्य प्रदेश	142- सांची (अ.जा.)
35.	मध्य प्रदेश	161- ब्यावरा
36.	मध्य प्रदेश	166- आगर (अ.जा.)
37.	मध्य प्रदेश	172- हाटपिपल्या
38.	मध्य प्रदेश	175- मांधाता
39.	मध्य प्रदेश	179- नेपानगर (अ.ज.जा.)
40.	मध्य प्रदेश	202- बदनावर

41.	मध्य प्रदेश	211- सांवेर (अ.जा.)
42.	मध्य प्रदेश	226- सुवासरा
43.	मणिपुर	30- लिलोंग
44.	मणिपुर	34- वॉग्जिंग टेन्था
45.	मणिपुर	22-वॅगोइ
46.	मणिपुर	51-सैतू(अ.ज.जा.)
47.	मणिपुर	60-सिंघाट(अ.ज.जा.)
48.	नागालैण्ड	14- दक्षिणी अंगामी-I (अ.ज.जा.)
49.	नागालैण्ड	60- पुंगरो-किफिरे (अ.ज.जा.)
50.	उड़ीसा	38- बालासौर
51.	उड़ीसा	102- तिरतोल (अ.जा.)
52.	तेलंगाना	41- डुब्बक
53.	उत्तर प्रदेश	40- नौगावां सादात
54.	उत्तर प्रदेश	65- बुलंदशहर
55.	उत्तर प्रदेश	95- टूंडला(अ.जा.)
56.	उत्तर प्रदेश	162- बांगरमऊ
57.	उत्तर प्रदेश	218- घाटमपुर (अ.जा.)
58.	उत्तर प्रदेश	337- देवरिया
59.	उत्तर प्रदेश	367-मल्हनी

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.